



छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, पर्यावास भवन, सेक्टर-19 नया ब्लॉक, नया रायपुर

www.cghb.gov.in

!! संपदा प्रबंधन !!

आदेश

क्रमांक.....73...../2016

दिनांक २१ / ११ / २०१६

विषय:- छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के स्ववित्तीय योजनांतर्गत भवन आबंटियों को बकाया राशि जमा करने में विलंबित अवधि ब्याज में छूट की समयावधि बढ़ाने बाबत।

--000--

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा स्ववित्तीय योजनांतर्गत आबंटित भवनों के आवेदकों को बकाया राशि जमा करने पर विलंबित अवधि के ब्याज पर 50 प्रतिशत छूट मण्डल सम्मिलन के अनुमोदन की प्रत्याशा में क्रमशः आदेश क्रमांक 48/2016 दिनांक 13.05.2016 द्वारा दिनांक 15 जून 2016 तक एवं आदेश क्रमांक मण्डल के आदेश क्रमांक 61/2016 दिनांक 10.08.2016 द्वारा दिनांक 30 सितम्बर 2016 तक, दिनांक 15 जून तक की स्ववित्तीय योजना की देय संपूर्ण राशि जमा करने पर आबंटियों को विलंबित अवधि के ब्याज में 50 प्रतिशत छूट प्रदान करने तथा 15 जून के पश्चात् तिथि पर कोई राशि देय हो तो उस राशि के भुगतान पर भारित विलंब अवधि के ब्याज में कोई छूट नहीं दी जाने आदेश जारी किए गए हैं।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के 51वाँ मण्डल सम्मिलन दिनांक 24.09.2016 की पद संख्या क्रमांक 06 के पारित संकल्प क्रमांक 1425-06/51/09/2016 में मण्डल द्वारा दीर्घ चर्चा एवं विचारोपसंत सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए स्ववित्तीय योजनांतर्गत भवन आबंटियों को बकाया राशि जमा करने में विलंबित अवधि ब्याज में छूट की समयावधि बढ़ाने हेतु मुख्यालय के आदेश क्रमांक 48/2016 दिनांक 13.05.2016 तथा क्रमांक 61/2016 दिनांक 10.08.2016 द्वारा की गई कार्यवाही की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करते हुए अन्य सभी प्रकार के आवश्यक निर्णय एवं कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया गया।

आदेशानुसार

मुख्य संपदा अधिकारी

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल

मुख्यालय, पर्यावास भवन, नया रायपुर


पृ.क्र. २६० | /आ.आ./स.प्र.शा./मुख्या/फा.नं.- /16 नया रायपुर, दिनांक २१ / ११ / २०१६

प्रतिलिपि:-

1. स्टॉफ ऑफिसर माननीय अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय नया रायपुर।
2. निज सचिव आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय नया रायपुर।
3. मण्डल सचिवालय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय नया रायपुर।

क्रमशः-02

4. अपर आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय नया रायपुर।
5. मुख्य संपदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय नया रायपुर।
6. मुख्य लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय नया रायपुर।
7. प्रशासकीय अधिकारी छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
8. उपायुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय नया रायपुर।
9. उपायुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, वृत्त-रायपुर/वृत्त-नया रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर।
10. संपदा अधिकारी/लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय नया रायपुर।
11. कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय शंकर नगर रायपुर।
12. कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल संभाग-01,02,03,04 रायपुर/राज. परि.संभाग-1,2,रायपुर/संभाग-दुर्ग/राजनांदगांव/बिलासपुर/कोरबा/रायगढ़/धमतरी/कवर्धा/ महासमुन्द/जगदलपुर/कोण्डागांव/अंबिकापुर/विद्युत संभाग 01 नया रायपुर/विद्युत संभाग 02 रायपुर/विद्युत संभाग-03 बिलासपुर।
13. संपदा अधिकारी, संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-01/02/03,04,05 रायपुर/ दुर्ग/ राजनांदगांव/ कवर्धा/ बिलासपुर/ रायगढ़/ कोरबा/ अंबिकापुर/ कोण्डागांव/ जगदलपुर/ धमतरी/ महासमुन्द/ की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
14. आई.टी.शाखा, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय नया रायपुर।
15. आदेश नस्ती/गार्ड फाईल।

  
मुख्य संपदा अधिकारी  
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल  
मुख्यालय, पर्यावास भवन, नया रायपुर